

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3847]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/ अग्रहायण 6, 1941

No. 38471

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27 2019/ AGRAHAYANA 6, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

का.आ. 4278(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 3023(अ), तारीख 22 अगस्त, 2019, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना तारीख 22 अगस्त, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में "आइएसओ 17605" के अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आइएसओ/आइईसी 17065 : 2012" अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।

> [फा. सं. क्यू-16017/72/2018-सीपीए] निधि खरे, संयुक्त सचिव

6132 GI/2019 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2019

S.O. 4278(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, dated the 22nd August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3023(E), dated the 22nd August, 2019, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the letters and figures, "ISO 17605", the letters and figures "ISO/IEC 17065: 2012" shall be substituted.

[F. No. Q-16017/72/2018-CPA] NIDHI KHARE, Jt. Secy.